न्यायालय अति. जिला कलक्टर, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : अशोक सांगवा, आर.ए.एस.
अपील सं. 09/2025 जी.सी.एम.एस. नं.–2025/67

1. विद्यादेवी पुत्र पालाराम पत्नी अजीत कुमार जाति चौधरी उम्र 68 वर्ष निवासी गांव टूण्ड डाकखाना भुगनाडा तहसील नुरपुर जिला कांगड़ा (हि.प्र.)
2. श्यामलाल पुत्र सीताराम जाति चौधरी उम्र 59 वर्ष निवासी राजा का तालाब तहसील फतेहपुर जिला कांगड़ा (हि.प्र.) –मृत्तक

2/1 श्रेष्ठादेवी पत्नी श्यामलाल जाति चौधरी
2/2 मोहित भारद्वाज पुत्र श्यामलाल जाति चौधरी
2/3 रोहित भारद्वाज पुत्र श्यामलाल जाति चौधरी

निवासीगण राजा का तालाब तहसील नूरपुर जिला कांगड़ा (हि.प्र.)

– अपीलार्थी

बनाम्

1. नन्दलाल पुत्र पालाराम जाति चौधरी निवासी चलवाड़ा तहसील ज्वाली जिला कांगड़ा (हि.प्र.)
2. रानी पत्नी रमेशचन्द जाति चौधरी निवासी देहरी तहसील फतेहपुर जिला कांगड़ा(हि.प्र.)
3. महेन्द्रा पत्नी हंसराज जाति चौधरी निवासी देहरी तहसील फतेहपुर जिला कांगड़ा(हि.प्र.)
4. सोनीदेवी पत्नी श्यामलाल जाति चौधरी निवासी देहरी तहसील फतेहपुर जिला कांगड़ा (हि.प्र.)
5. तिलकराज पुत्र जंडोराम जाति चौधरी निवासी गांव कन्दौर तहसील फतेहपुर जिला कांगड़ा जाति चौधरी निवासी देहरी तहसील फतेहपुर जिला कांगड़ा(हि.प्र.)
6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार जरिए तहसीलदार राजस्व घडसाना।

–प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत 75 भू. राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :–
1. श्री इन्द्राज कस्वां, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री सुरेन्द्र चालिया अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण सं.–1
3. श्री दिनेश कामरा अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं. 2ता5

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 16.08.2025

संक्षेप में अपील प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि–

1. अपीलार्थी के द्वारा अपील पेश कर अवगत करवाया गया कि कृषि भूमि वाके चक 1के एम बी तहसील घडसाना का मुरब्बा नं.–38 पत्थर नं.–129/53 के किला नं.–1ता 25 के 25 बीघा यानि 6.072 हैक्टर कमाण्ड कृषि भूमि अपीलांट सं.–01 के पिता व अपीलांट सं.–2 के पाला पुत्र सोहणू को पौंगबांध विस्थापितों में पुख्ता आवंटित हुई थी आवंटी पाला पुत्र सौहणु का देहांत दिनांक 13.07.1992 को गया। रेस्पोडेंट सं.–01 द्वारा तथाकथित वसीयत दिनांक 20.08.1990 के आधार पर तथाकथित वारिसनामा इंतकाल सं.–223 दिनांक 26.04.2022 को अपने नाम से दर्ज करवाकर लिया। उक्त आलौच्य आदेश पारित किया गया है जो प्राथमिक रूप से गलत न्याय विरूद्ध होने से निरस्ती के योग्य है।
2. प्रत्यर्थीगण को तलब किया गया। प्रत्यर्थी सं.–01 की तरफ से अधिवक्ता श्री दिनेश कामरा एवं प्रत्यर्थीगण सं.–2 ता 5 की तरफ से श्री सुरेन्द्र चालिया उपस्थित आए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।
3. अपीलांट सं.–02 श्यामलाल पुत्र सीताराम की मृत्यु के उपरांत उनकी विधिक वारिसान के द्वारा जरिए अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 एवं सपठित धारा 151 सीपीसी पेश कर निवेदन किया गया कि अपीलांट सं.–2 के हम जायज वारिसान है व उन्हें अपीलांट सं.–2 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जावें। अप्रार्थी सं.–01 के द्वारा जवाब पेश किया एवं बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 एवं सपठित धारा 151 सी.पी.सी. सुनकर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांट सं.–02 के विधिक वारिसान को प्रतिस्थापित किया गया।

4. अधीवक्ता रेस्पोंडेट संख्या–2ता5 अनुपस्थित। बहस वकील अपीलांटस एवं रेस्पोडेंटस संख्या–01 की सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि कृषि भूमि वाके चक 1 के एम (बी) तहसील घडसाना का मुरब्बा नम्बर 38 पत्थर सं. 129/53 के किला नम्बर 1ता25 के 25 बीधा यानि 6.072 हैक्टर कमाण्ड कृषि भूमि अपीलांट सं.1 के पिता व अपीलांट सं. 2 पाला पुत्र सौहणू को पौंगबान्ध विरथापितों में पुख्ता आवंटित हुई थी। आवंटी पाला पुत्र सौहणू का देहान्त दिनांक 13.7.1992 को हो गया जिसके देहान्त उपरांत उसके एक पुत्र रेस्पोडेन्ट सं.1 नन्दलाल व तीन पुत्रीयां क्रमशः विद्यादेवी(अपीलांट सं.–1), सीतादेवी व अमरतीदेवी थी जिसमें सीतादेवी व अमरतीदेवी का भी देहान्त हो चुका है। मृतक सीतादेवी पुत्री पाला का अपीलांट सं. 2 एक मात्र विधिक वारिस है तथा मृतक अमरतीदेवी पुत्री पाला के रेस्पोडेन्ट सं. 2ता5 विधिक वारिस है। मृतक आवंटी पाला पुत्र सौहणू के अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1 व रेस्पोडेन्ट सं. 2 ता 5 विधिक एवं जायज वारिसान है। मूल आंवटी पाला पुत्र सौहणू के देहान्त उपरांत उक्त कृषि भूमि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1 व रेस्पोडेन्ट सं. 2ता5 को विरास्तन हक व अधिकार निहित है। लेकिन रेस्पोडेन्ट सं. 1 जो होशियार किस्म का व्यक्ति है जिसके द्वारा मृतक पाला पुत्र सौहणू की तथाकथित वसीयत दिनांक 20.08.1990 के आधार पर तथाकथित वारिसनामा बनाकर पटवारी हल्का से सांठगांठ करके इन्तकाल सं. 223 दिनांक 26.04.2022 को अपने नाम से दर्ज करवाकर उसे तहसीलदार (भू.अ.) घडसाना से स्वीकृत करवा लिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर, भू राजस्व अधिनियम, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों की अनदेखी कर एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित जाकर वसीयत के आधार पर आलौच्य आदेश पारित करने में भारी भूल की है। प्रश्नगत भूमि पालाराम पुत्र सौहणू को पौंगबान्ध विस्थापितो के रूप में आवंटित हुई जो वर्तमान में गैरखातेदारी है जिसकी अभी तक खातेदारी सनद जारी नंही हुई है अतः आलौच्य आदेश काबिल निरस्ती के है।

5. अधिवक्ता अप्रार्थी सं.–01 ने अपने बहस में कथन किया कि अपील गुणदोष के आधार पर कतई स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। मृतक पालाराम पुत्र सोहणू का तथाकथित लिगल हेयर सर्टिफिकेट डीसीआर एण्ड आर राजा का तालाब तहसील फतेहपुर जिला कांगड़ा के समक्ष झुठे तथ्य पेश करके मुगालते में रखकर फर्जी एवं कूटरचित तैयार किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वर्गीय पाला पत्र सौहणू के देहांत के उपरांत उसके विधिक प्रतिनिधी व वारिस रेस्पोडेंट सं. –01 नंदलाल को सुनकर ही आदेश पारित किया गया है। चूंकि अपीलाधीन कृषि भूमि में अपीलांटस का ना तो कोई हित है एवं ना ही कोई अधिकार है इसलिए अपीलांटस किसी तरह से व्यथित एवं पक्षकार नहीं है तथा अपील काबिल खारिज एवं निरस्ती योग्य है।

6. वहस वकील अपीलांटस एवं रेस्पोंडेट संख्या–01 पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है अपीलाधीन भूमि में अपीलांटस का अपने मृत्तक पिता/नाना स्व. पाला पुत्र सोहणू के देहांत उपरांत विरास्तन हक व अधिकार निहित है अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, घड़साना का आलौच्य इंतकाल आदेश दिनांक 27.04.2022 का है जो कि अपीलांटस को बिना पूर्व सुनवाई का अवसर दिये एवं नोटिस दिये विना एक पक्षीय पारित किया है। चूंकि अपीलांटस आलौच्य आदेश से सीधे तौर पर व्यथित एवं प्रभावित पक्षकार है। इसलिए अपील पेश करने की कानूनी अधिकारी है। अपीलांटस सद्भाविक है। उक्त शीर्षक की अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी है जो अपील में वर्णित सुदृढ आधारों पर प्रथम दृष्टया स्वीकार होने योग्य है। तथ्यों की पुनरावृति न हो इसलिए इसे अपील का भाग मानकर पढ़ा जावें। जैर अपील आदेश प्रार्थीया की पीठ पीछे बिना कोई सूचना नोटिस दिये विना सुनवाई किये एक तरफा तौर पर पारित किया गया है। जिससे अपीलांटस के हित प्रभावित होते है। प्रार्थीया अपने हितों की रक्षा हेतु अपील पेश करने का हकदार है व हितबद्ध पक्षकार है। अपीलाधीन आदेश प्रार्थीया की पीठ पीछे एक पक्षीय तौर पर उन्हे सुनवाई का अवसर दिये विना प्रार्थी की पीठ के पीछे पारित किा गया है। जिससे अपीलांट के हित प्रभावित हुये है। जैर अपील आदेश के विरुद्ध अपीलांट अपील पेश करने हेतु कानून रूप से हकदार व हितबद्ध है। रेस्पो. के द्वारा अपीलार्थी के अपील प्रस्तुत करने पर ऐतराज प्रस्तुत किया गया जो अपील में दर्ज तथ्यों का देखते हुए प्रार्थना–पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है।

7. अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहनता से परिशीलन किया। विरास्तन नामान्तरण दर्ज करते समय कही भी मूल वारिसान के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का अंकन नही किया गया है जबकि नामातंरण दर्ज करते समय वैध वारिसान संबंध में अनुसंधान किया जाना था। तहसीलदार का दायित्व था कि आवंटी के समस्त वारिसान को सुनते हुए पूर्ण अनुसंधान के पश्चात प्रकरण को निर्णित करना चाहिए था। तहसीलदार द्वारा आवंटी के वैध वारिसान के संबंध में कोई जांच की गई हो, ऐसा साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य पर सभी विधिक वारिसान के संबंध में अनुसंधान किए बगैर नामान्तरण करने की कार्यवाही की प्रारम्भ की गयी है। प्रकरण में रेस्पोडेंट

अति. जिला कलक्टर
अनूपगढ़

संख्या–01 के द्वारा उपनिवेशन विभाग कार्यालय उपायुक्त(राहत एवं पुर्नवास) तलवाड़ा पंजाब के पत्रांक–63 दिनांक 22.03.1999 द्वारा जारी वारिसान प्रमाण पत्र में केवल स्वयं को ही वारिसान घोषित किया करवाया गया है, जबकि डी.सी आर एण्ड आर राजा का तालाव तहसील फतेहपुर जिला कांगड़ा (हि.प्र.) के पत्रांक–193 दिनांक–25.03.2025 को जारी लीगल हीयर सर्टिफिकेट में स्व. पालाराम पुत्र सोहणू के कुल 4 वारिस अंकित हैं। पत्रावली में आवंटी पालाराम पुत्र सोहणू के 2 वारिस प्रमाण पत्र संलग्न है, जिसमें वारिस प्रमाण पत्र 22.03.1999 में केवल मात्र एक वारिस दर्शाया गया है, जबकि दिनांक 25.03.25 को जारी वारिस प्रमाण पत्र में कुल 4 विधिक वारिसान उल्लिखित किए गए हैं। पत्रावली पर उपलब्ध भिन्न–भिन्न वारिस प्रमाण पत्रों में आवंटी पालाराम के विविध वारिस के संबंध में अलग–अलग तथ्य उल्लेखित है। अतः ऐसे में यह अधीनस्थ न्यायालय का दायित्व बन जाता है कि आवंटी के मृत्यु के पश्चात विरास्तन इंतकाल दर्ज करने से पूर्व सभी विधिक वारिसान को ऑन रिकॉर्ड लेकर विधिक सुनवाई करते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित करें।

8. प्रकरण में उपर्युक्तानुसार विवेचन एवं विश्लेषण के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार घड़साना द्वारा मूल आवंटी स्व. पालाराम पुत्र सोहणू के वारिसान की विधिक प्रक्रिया के तहत पूर्ण जांच किए बिना विरासतन नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है। अतः चक 1 के.एम. बी के प.न. 129/53 मु.न. 38 के संबंध में तहसीलदार, घडसाना द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या–223 दिनांक 27.04.2022 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार घड़साना को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि स्व. पालाराम पुत्र सोहणू के विधिक वारिसान के संबंध में डी. सी. (आर एण्ड आर) राजा का तालाब तहसील फतेहपुर जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) द्वारा क्रम संख्या 193 दिनांक 25.03.2025 द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र से संबंधित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पूर्ण जांच कर विधिक वारिसान को सुनवाई का अवसर देते हुए एक माह में पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करें।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 16.08.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक सांगवा) आर.ए.एस.
अति. जिला कलक्टर
अनूपगढ़

अति. जिला कलक्टर अनूपगढ़

अतिरिक्त जिला कलक्टर अनूपगढ़